न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 117/2018

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. समदा पुत्र सायर		1. सुबान पुत्र गभीरा फौत के कायम मुकाम 1/1 रमजान गोदपुत्र सुबान
2. गैना पुत्र सायर		2. शकरू पुत्र गभीरा
3. रोशन पुत्र सायर		3. रामा पुत्र गभीरा फौत के कायम मुकाम 3/1 कालु पुत्र रामा 3/2 नैनी पुत्र रामा कौम–मेहरात निवासीगण–बगतपुरा पोस्ट रास तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।
4. सुबान पुत्र सायर कौम मेहरात, निवासीगण–बगतपुरा, पोस्ट–रास, तहसील–जैतारण जिला–पाली रास।		4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 एल.आर एक्ट

तारीख रजू:.18/05/2018

उपस्थितः–

1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/03/2020**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बगतपुरा, पटवार हल्का–रास तहसील– जैतारण जिला–पाली के खसरा नंबर 2538 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2539 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खरीदसुदा शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 सह खातेदार के रूप में उक्त कृषि भूमि में काबिज खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि भूमि को निर्विवाद एवं बरोकटोक

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अपने अपने हक एवं हिस्सानुसार शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे उक्त वर्णित खसरान की भूमि के कुल रकबे में से वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के 3/10 वां हिस्सा में से 30/40 वां हिस्सा की भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान के दिनांक 18.12.2003 को खरीद की और शेष 3/10 का 10/40 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने अपने नाम ही रखा। वादीगण के द्वारा उक्त खरीद की गई भूमि के पंजीबद्ध बेचान रजिस्ट्री के तहत म्यूटेशन नंबर 342 दिनांक 05.02.2004 हल्का पटवारी रास-2 द्वारा दर्ज किया गया। उस दरम्यान बेचाननामे के तहत खरीद की गई भूमि का वादीगण के नाम हिस्सा 3/10 का 9/40 दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का 3/10 का 3/40 शेष हिस्सा दर्ज कर दिया, जो गलत है। जबकि उक्त पंजीबद्ध बेचान रजिस्ट्री के अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 से उनके 3/10 का 10/40 रहता है इसलिए हल्का पटवारी द्वारा दर्ज म्यूटेशन संख्या 342 गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त म्यूटेशन को निरस्त घोषित करवाने का वादीगण को विधिक रूप से अधिकार है। वाद कारण दिनांक 20.04.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमियों पर बैंक से ऋण लेने हेतु पटवारी रास के समक्ष उपस्थित हुए तब हल्का पटवारी रास ने वादीगण को कहा कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों के राजस्व रेकर्ड में आपका हिस्सा गलत दर्ज है। तब वादीगण ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों के राजस्व रेकर्ड की नकले व म्यूटेशन नंबर 342 प्राप्त किया तब वादीगण की जानकारी में आया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 से खरीद की गई भूमि का जरिये बेचान रजिस्ट्री के तहत म्यूटेशन संख्या 342 दर्ज हुआ। उस समय हल्का पटवारी ने गलती से वादीगण का हिस्सा 3/10 का 3/40 दर्ज कर दिया। इसलिए अपने राजस्व रेकर्ड में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के 3/10 हिस्सा में से 30/40 वां हिस्सा की भूमि खरीद की एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का 3/10 का 10/40 हिस्सा के खातेदार एवं हिस्सादार दर्ज करवाने का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। हमनें प्रदर्श 2ए का अध्ययन किया। प्रदर्श 2ए के अवलोकन से सुबान, शकरू, रामा पि. गंभीरा ने अपने हिस्से के 3/10 वें भाग का 30/40 वां हिस्सा अर्थात 9/40 भाग समदा, गैना, रोशन, सुबान पि. सायर को बेचान किया। जबकि अली एवं रतना पि. गंभीरा का हिस्सा पूर्ववत 2/10 था। प्रदर्श-03 नांमातरण संख्या 5.02.2014 के "वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में शुद्धि किये जाने के लिए प्रविष्टि "

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

के कॉलम में ''विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम'' का अवलोकन करने पर वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग में सुबान, शकरू, रामा, अली, रतना पि. गंभीरा की प्रविष्टि अंकित है जिसमें प्रत्येक का 1/10- 1/10 हिस्सा आता है। तथा सुबान, शकरू, रामा पि. गंभीरा का 3/10 हिस्सा कुल आराजी का आता है तथा अली, रतना पि. गंभीरा का 2/10 हिस्सा कुल आराजी का आता है। बेचान के बाद अब वादग्रस्त आराजी में सुबान, शकरू, रामा पि. गंभीरा का 3/40 हिस्सा शेष रहता है अली, रतना पि. गंभीरा का 2/10 हिस्सा यथावत रहता है तथा खरीद करने से समदा, गैना, रोशन, सुबान पि. सायर को 9/40 भाग आता है। जबकि नामान्तकरण संख्या 342 में प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रविष्टि के कॉलम में अतिरिक्त कोष्ठक लगाने से राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश गलत इन्द्राज नवीन जमाबदी में भी हो गया।

उपर्युक्त आलोक में सरहद मौजा-बगतपुरा, पटवार हल्का-रास द्वितीय तहसील- जैतारण जिला-पाली के खाता संख्या 96 खसरा नंबर 2538 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2539 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के नवीन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण अतिरिक्त कोष्ठकों तथा कोष्ठक के बाहर अंकित 3/10 तथा 1/2 की प्रविष्टि को हटाकर निम्नलिखित इन्द्राज किया जाना विधिसंगत है।

- सुबान, शकरू, रामा पि. गंभीरा का 3/40 हिस्सा इन्द्राज किया जावे।
- अली, रतना पि. गंभीरा का 2/10 हिस्सा इन्द्राज किया जावे।
- समदा, गैना, रोशन, सुबान पि. सायर का खरीद करने से 9/40 हिस्सा दर्ज किया जावे।

तथा शेष प्रविष्टियां यथा किशना, कैलाश पि. लाडू कैलाश नाबा कूदरती वली लाडू पुत्र हिमता दीना पुत्र हजारी, कसूमी पत्नी हजारी समदा गैना रोशन सुबान पि. सायर 3/8 चान्दू पुत्र लाडू 1/8 कौम मेहरात सा. ढाणी बगतपुरा को बदस्तूर किया जावे। तथा अन्य कोई प्रविष्टियां यदि हो तो बदस्तूर रहेंगी।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत धारा-88 सपठित धारा-136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादीगण के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा-बगतपुरा, पटवार हल्का-रास द्वितीय तहसील- जैतारण जिला-पाली के खाता संख्या 96 खसरा नंबर 2538 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2539 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के नवीन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण अतिरिक्त कोष्ठकों तथा कोष्ठक के बाहर अंकित 3/10 तथा 1/2 की प्रविष्टि को हटाकर निम्नलिखित इन्द्राज किया जाता है।

- सुबान, शकरू, रामा पि. गंभीरा का 3/40 हिस्सा इन्द्राज किया जाता है।

सहायक कलक्टर यदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अली, रतना पि. गंभीरा का 2/10 हिस्सा इन्द्राज किया जाता है। समदा, गैना, रोशन, सुबान पि. सायर का खरीद करने से 9/40 हिस्सा इन्द्राज किया जाता है।

तथा शेष प्रविष्टियां यथा किशना, कैलाश पि. लाडू कैलाश नाबा कूदरती वली लाडू पुत्र हिमता दीना पुत्र हजारी, कसूमी पत्नी हजारी समदा गैना रोशन सुबान पि. सायर 3/8 चान्दू पुत्र लाडू 1/8 कौम मेहरात सा. ढाणी बगतपुरा को बदस्तूर किया जावे। तथा अन्य कोई प्रविष्टियां यदि हो तो बदस्तूर रहेंगी। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/03/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

मज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. समदा पुत्र सायर 2. गैना पुत्र सायर 3. रोशन पुत्र सायर 4. सुबान पुत्र सायर कौम मेहरात, निवासीगण–बगतपुरा, पोस्ट–रास, तहसील–जैतारण जिला–पाली रास।		1. सुबान पुत्र गभीरा फौत के कायम मुकाम 1/1 रमजान गोदपुत्र सुबान 2. शकरू पुत्र गभीरा 3. रामा पुत्र गभीरा फौत के कायम मुकाम 3/1 कालु पुत्र रामा 3/2 नैनी पुत्र रामा कौम–मेहरात निवासीगण–बगतपुरा पोस्ट रास तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.। 4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 सपठित धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 117/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा–88 सपठित धारा–136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादीगण के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–बगतपुरा, पटवार हल्का–रास द्वितीय तहसील– जैतारण जिला–पाली के खाता संख्या 96 खसरा नंबर 2538 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2539 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के नवीन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण अतिरिक्त कोष्ठकों तथा कोष्ठक के बाहर अंकित 3/10 तथा 1/2 की प्रविष्टि को हटाकर निम्नलिखित इन्द्राज किया जाता है।

- सुबान, शकरू, रामा पि. गंभीरा का 3/40 हिस्सा इन्द्राज किया जाता है।
- अली, रतना पि. गंभीरा का 2/10 हिस्सा इन्द्राज किया जाता है।
- समदा, गैना, रोशन, सुबान पि. सायर का खरीद करने से 9/40 हिस्सा इन्द्राज किया जाता है।

तथा शेष प्रविष्टियां यथा किशना, कैलाश पि. लाडू कैलाश नाबा कूदरती वली लाडू पुत्र हिमता दीना पुत्र हजारी, कसूमी पत्नी हजारी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

समदा गैना रोशन सुबान पि. सायर 3/8 चान्दू पुत्र लाडू 1/8 कौम मेहरात सा. ढाणी बगतपुरा को बदस्तूर किया जावे। तथा अन्य कोई प्रविष्टियां यदि हो तो बदस्तूर रहेंगी। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/03/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	04	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		मुत्फरिक		
मिजानः–	07	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.04.11 21:15:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: